:: न्यायालय, अपर सैशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन न्यायाधीश	:	**मुकेश कुमार सोनी** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
सेशन प्रकरण संख्या	:	121/2021
CIS No.	:	121/2021

राजस्थान राज्य

बनाम

दुर्गालाल पुत्र बलराम, निवासी गोग्याबेह उर्फ किशनपुरिया, पुलिस थाना कामखेड़ा, जिला झालावाड़ (राज.)

.... अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 457, 376 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

01. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
02. श्री योगेन्द्र सोनी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांकः-27.03.2026

घटना की दिनांक	01.11.2020
प्रथम सूचना की दिनांक	07.11.2020
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	04.03.2021
कमिट होकर प्राप्त होने की दिनांक	01.12.2021
आरोप विरचन की दिनांक	01.12.2021
साक्ष्य आरम्भ होने की दिनांक	13.01.2022
निर्णय सुरक्षित करने की दिनांक	-
निर्णय की दिनांक	27.03.2026
दण्डादेश, यदि हो तो दिनांक	-

प्रकरण के तथ्य-

1. यह सेशन प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना कामखेड़ा, जिला झालावाड़ की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 174/2020 में अदम वकु झूंठ में प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना द्वारा दिनांक 18.06.2021 को अभियुक्त दुर्गालाल के विरूद्ध पारित प्रसंज्ञान आदेश अपराध अंतर्गत धारा 457, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं तत्पश्चात प्रकरण को उपार्पित किये जाने के पश्चात इस न्यायालय को प्राप्त होने से उद्भूत हुआ है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पीड़िता द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 01.11.2020 को रात्रि नो बजे करीब की बात है। उसके बाड़े में मक्का के बरल्ड़े पड़े हुए हैं। उसका पति पानत करने गया हुआ था और वह अकेली बाड़े में मक्का के बरल्ड़ों की

रखवाली कर रही थी। वह खाट पर सो रही थी। उनके गांव का दुर्गालाल एकदम उसके ऊपर आकर पड़ गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो दुर्गालाल ने उसका मुंह अपने हाथ से बन्द कर दिया और जबरन उसकी घाघरी ऊंची करके अपने पेशाब करने की जगह उसके पेशाब करने की जगह में घुसाकर जबरन उसके साथ खोटा काम किया और काम होने के बाद जाने लगा तो उसे धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो उसे और उसके पति को जान से मार देगा और गांव में रहना मुश्किल कर देगा। सुबह चार बजे उसका पति आया तो उसने उन्हें पूरी घटना बताई। फिर वह थाने जाने लगी तो मुल्जिम रास्ते में ही बैठा था, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कामखेड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 174/2020, अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान मामला अदम वकु झूंठ मानते हुए अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना के समक्ष पेश किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना द्वारा दिनांक 18.06.2021 को अभियुक्त दुर्गालाल के विरूद्ध धारा 457, 376 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर मामला विचारणार्थ इस न्यायालय को उपार्पित किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त दुर्गालाल के विरूद्ध धारा 376, 457 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप विरचित किये गये, अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 04 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया है एवं 06 दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये हैं। उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण निर्णय के अंतिम भाग में संलग्न **परिशिष्ट- 'क'** में दिया गया है।

5. अभियुक्त दुर्गालाल को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए उसके भाई परमानन्द व पीड़िता के पति बिरधीचन्द के बीच रेवड़ी का विवाद हो गया था जिस कारण उसे झूंठा फंसाया जाना बताया। अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में कुल 02 साक्षीगण को परीक्षित करवाया। दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया। पीड़िता के बयानों की सीडी को आर्टिकल 1 होना बताया। उक्त मौखिक साक्ष्य व आर्टिकल का विवरण निर्णय के अंतिम भाग में संलग्न **परिशिष्ट- 'ख'** में दिया गया है।

6. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि प्रकरण में कथित घटना के संबंध में एक मात्र पीड़िता की साक्ष्य है। पीड़िता के बयानों की सम्पुष्टि किसी भी साक्षी के द्वारा नहीं की गई है। पीड़िता की साक्ष्य में विरोधाभास है। उनका तर्क है कि अभियुक्त के भाई परमानंद ने अपने घर के

आगे पीडिता व उसके पति द्वारा अतिक्रमण कर रेवड़ी डालने की शिकायत की थी, जिस पर पीड़िता के पति को गिरफ्तार किया गया था और प्रशासन द्वारा वह अतिक्रमण हटा दिया गया। इस बात के कारण नाराज होकर पीड़िता ने अभियुक्त के विरूद्ध यह झूठा अभियोग दर्ज करवाया है। जिसमें बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदम वकु झूठ पेश किया गया था। स्वयं अनुसंधान अधिकारी प्रतिरक्षा साक्षी प्रेमबिहारी ने न्यायालय में उपस्थित होकर इस तथ्य की पुष्टि की है। उनका तर्क है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा केवल पीड़िता के बयान धारा 200 दप्रसं पर प्रसंज्ञान लिया गया है। चिकित्सीय साक्ष्य से भी घटना की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ घटना करते हुए देखना नहीं बताया है जबकि घटना रिहायशी इलाके की होकर रात्रि के नो बजे की होना बताई गई है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

01. (2024) 2 CriLR 714 02. (2020) AIR (SC) 985

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

8. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण के विनिश्चय के लिए न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि-

(1) ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.11.2020 को समय रात करीब 09 बजे स्थान ग्राम मोग्याबेह उर्फ किशनपुरिया में पीड़िता जब अपने खेत पर मक्का के बल्ड़ों की रखवाली कर रही थी, तब उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं सम्मति के बिना जबरन सम्भोग कर बलात्कार किया व उसके बाड़े में प्रच्छन्न गृह-अतिचार किया?"

(2) ''यदि हां तो उसके लिये उचित दण्ड क्या होगा?"

अभियोजन साक्ष्य का विवरण-

9. आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य में **अभियोजन साक्षी क्रमांक 02 पीड़िता** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.11.2020 की शाम के 9 बजे वह उसके बाड़े मे चारपाई पर सो रही थी। उसे उस समय नींद आ रही थी। दुर्गालाल उसके सोते समय उस पर आकर पड़ गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने उसका मुंह दबा दिया। उसका पति खेत पर था क्योंकि उस समय बुआई का सीजन था और वह खेत पर पानी दे रहे थे। अभियुक्त ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया व जाते समय उसे धमकी दी कि यदि किसी को बतायी तो उसे व उसके पति को मार देगा। फिर 4 बजे उसका पति घर पर आया तो उसने उसको सारी घटना बतायी। फिर वह रिपोर्ट करने थाने मे

जा रहे थे तो वहां पर विरोधी बैठे थे जिन्होंने उन्हें मारने की धमकी दी थी। जिस पर वे थाने पर ना जाकर झालावाड़ एसपी साहब के पास गये थे। कृष्णा व कल्याणी ने दुर्गालाल को भागते हुए देखा था। उसने उसके घरवाले को घटना के बारे में बताया था। एसपी को पेश परिवाद प्रदर्श पी 2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसका अकलेरा मे डाक्टरी मुआयना हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी अण्डरवियर जरिये फर्द प्रदर्श पी 1 के जब्त की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके बयान 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा में** कथन किया कि बाड़ा उसके घर से दो-तीन घर दूरी पर है। वह दो-तीन दिन से बाड़े में सो रही थी। बाड़े के आस-पास रमेश, श्रीलाल, घांसीलाल, बनवारी व गुलाबचन्द के मकान बने हुए हैं। साक्षी के अनुसार घटना के बाद वह पूरी रात अपने बाड़े में ही रूकी थी। सुबह चार बजे उसका पति बाड़े में आया तब वहीं उसे घटना के बारे में बताया था। यह स्वीकार किया है कि दुर्गालाल के जाने के बाद उसने घटना की बात किसी को नहीं बताई, स्वतः कहा कि दुर्गालाल ने उसे धमकी दी थी। बाड़े में उजाला या बल्ब लगा होने से इन्कार किया है तथा यह स्वीकार किया है कि यदि कोई सड़क से निकले तो बाड़े में रखी हुई खाट नजर आ जाती है। साक्षी का कथन है कि उसने घटना वाली बात सबसे पहले अपने पति को घर पर बताई थी। घटना के बारे में पति को बाड़े में बताने की बात लम्बा समय हो जाने के कारण भूलवश कह दी वास्तव में घटना के बारे में उसने सबसे पहले अपने पति को घर पर ही बताया था। साक्षी के अनुसार अभियुक्त मौके पर एक-दो घण्टे रूका था। उसने घटना से पहले चिल्लाने की कोशिश की लेकिन दुर्गालाल ने उसका मुंह दबा दिया इसलिए वह चिल्ला नहीं पाई। दुर्गालाल गलत काम करने के बाद मौके पर 10-15 मिनट रूका था। साक्षी का कथन है कि **वह दुर्गालाल के भाई परमानंद को नहीं जानती।** इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह अपने घर का कचरा दुर्गालाल के भाई परमानंद के बाड़े के बाहर डालती हो। **यह स्वीकार किया है कि परमानन्द ने उसके बाड़े के बाहर रेवड़ी डालने की शिकायत पंचायत, एसडीओ और डिप्टी साहब को की थी जिस पर एसडीओ ने उसके पति को पाबंद भी किया था।** बीडीओ ने परमानंद के बाहर से रेवड़ी हटवाई थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि रेवड़ी के मामले में उनके बीच लड़ाई-झगड़ा व रंजिश चल रही हो। घटना के समय विरोध करने पर उसके गालों पर खरोंच के निशान आये थे। होंठ पर भी निशान आया था जो आज भी मौजूद है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे तब रास्ते में दुर्गालाल मिला था जिसने उन्हें धमकी दी थी। साक्षी के अनुसार दुर्गालाल ने खोटा काम करने के बाद उसके पति को मारने की धमकी दी थी। बयान धारा 200 दप्रसं में पति को मारने की धमकी देने वाली बात उसने भूल से नहीं लिखाई होगी। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय पहनी हुई अण्डरवियर उसने बाद में भी

पहनी थी और उसे धोया भी था। पुलिस ने अण्डरवियर घटना के 8-15 दिन बाद जप्त की थी। साक्षी के अनुसार अभियुक्त उसके साथ खोटा काम कर रहा था तब उसका मुंह कपड़े से बन्द कर रखा था, स्वतः कहा कि उसकी आंखे बन्द थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने रेवड़ी के मामले में दुर्गालाल जो पंचायत में सेकेट्री के पद पर था, के खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया हो।

10. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 03 पीड़िता के पति** ने कथन किया है कि घटना संभवतः सन 21 के आस पास की है, तारीख उसे याद नहीं है। वह गंगवन वाले खेत में पानी पिलाने के लिये गया था, उसकी पत्नी बाडे में थी। वह रात को खेत में था और सुबह वापस आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि दुर्गालाल ने उसके साथ बलात्कार किया। और कोई बात नहीं बताई। घटना की रिपोर्ट कराने वह व उसकी पत्नी कामखेडा थाना जाने लगे तो रास्ता में दुर्गालाल बैठा हुआ दिख गया तो वे वापस लौट गये फिर झालावाड एसपी साहब को रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने नक्शा मौका उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी पत्नी का अण्डरवीयर पुलिस ने जब्त की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा में** कथन किया है कि बाड़े के आस-पास रमेश, श्रीलाल, घांसीलाल, बनवारी व गुलाबचंद के मकान हैं। बाड़ा रोड़ पर स्थित है जिसमें लाईट लगी हुई नहीं है। यह स्वीकार किया है कि रोड़ पर खड़े व्यक्ति को पूरा बाड़ा दिखता है। साक्षी के अनुसार वह खेत से आया तब उसकी पति उसे घर पर मिली थी और घर पर ही उसने घटना के बारे में बताया था। यह स्वीकार किया है कि उसके व दुर्गालाल के भाई परमानंद के बीच रेवड़ी डालने को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। **परमानंद ने रास्ता में रेवड़ी डालने की एसडीएम को शिकायत की थी। इस शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एसडीएम के यहां पेश किया था और उसे पाबंद किया था** लेकिन उसे जमानत पर छोड़ दिया था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि इस रंजिश के कारण उसने दुर्गालाल के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। साक्षी के अनुसार वह थाना पर रिपोर्ट कराने जा रहे थे तो अभियुक्त रास्ते में बैठा नजर आया तब वे वापिस लौट गए थे। अभियुक्त ने उन्हें कुछ नहीं कहा था और न ही धमकाया। उसने मोबाईल से थाना पर रिपोर्ट नहीं की। यह स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी ने रात्रि में आस-पास के लोगों को घटना के बारे में नहीं बताया। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दुर्गालाल ने रेवड़ी के मामले में परमानंद की पूरी मदद की हो इसलिए दुर्गालाल के विरूद्ध यह मुकदमा करवाया हो। उसकी पत्नी के गले व गाल पर चोट के निशान हो तो उसे पता नहीं। उसकी पत्नी ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया।

11. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 01 ममता** ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 11.11.2020 को थाना कामखेड़ा पर महिला कानि के पद पर कार्यरत

थी। उस दिन मुकदमा नंबर 174/20 थाना कामखेड़ा धारा 376, 457 भादस में अनुसंधान अधिकारी प्रेमबिहारी जी ने पिड़िता रामकन्याबाई की अण्डरवियर जब्त की थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील चस्पा है। उसी दिन पीड़िता के कहेनुसार उसके बयान धारा 161 दप्रसं लेखबद्ध किये थे। जिस पर पीड़िता व उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा में** स्वीकार किया है कि बयान की दिनांक में कांटछांट है। इस सुझाव को गलत बताया है कि बयान पीड़िता के अनुसार नहीं लिखे हो।

12. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 04 डॉ. सत्येन्द्र सिंह** ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 18.11.2020 को वह सीएचसी अकलेरा पर एसएमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना कामखेडा के प्रतिवेदन पर उसने पीड़िता की सहमति प्राप्त कर श्रीमति ममता महिला नर्सिंगकर्मी की उपस्थिति में बलात्संग संबंध परीक्षण किया था। जिसमें उसका शारीरिक विकास सामान्य था। शरीर व जननांगों पर ताजा जाहिराना चोट के निशान नहीं थे। महिला शादीशुदा थी। परीक्षण के दौरान एफटीए कार्ड पर खून एवं वेजानईल स्वाब एवं सलाईवा के सैम्पल लेकर सीलचिट कर एफएसएल हेतु पुलिस को सुपुर्द कर दिये थे। उसकी राय में तात्कालिक संभोग के लक्षण नहीं पाये गये। अन्तिम राय एफएसएल रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखी थी। मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी मुलजिमा के पहचान चिन्ह एवं ई से एफ उसकी सहमति तथा जी से एच पीडिता तथा आई से जे पीड़िता के पति बरदीचन्द के हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि यदि किसी महिला के साथ जोर जबरदस्ती की जाए तो पीठ या जननांग पर खरोंच के निशान होना सम्भव है। यह स्वीकार किया है कि परीक्षण के दौरान पीड़िता के गाल व होंठ पर चोट के ताजा निशान नहीं थे।

प्रतिरक्षा साक्ष्य का विवरण-

13. **प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक 1 रमेशचंद** का कथन है कि उसका मकान ग्राम मोग्याबेह के मुख्य रास्ते पर है जिसके सामने पीड़िता का बाड़ा है। दिनांक 01.11.2020 को वह रात को 10-11 बजे तक घर के बाहर खाना खाकर घूम रहा था। उसका भाई घांसीलाल भी साथ था। उसने पीड़िता के साथ दुर्गालाल द्वारा कोई घटना कारित करने की बात नहीं सुनी न ही देखी। साक्षी के अनुसार अभियुक्त और परिवादी के बीच रेवड़ी को लेकर पहले से विवाद था। पीड़िता की रेवड़ी दुर्गालाल के भाई परमानंद के मकान के सामने पड़ी हुई थी जिसकी परमानंद ने उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना को शिकायत की थी जिसके बाद प्रशासन द्वारा रेवड़ी को हटा दिया था। इस कारण बलात्कार का आरोप लगाया है। दुर्गालाल ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। इसके विरूद्ध रंजिश के कारण झूठा

मुकदमा करवाया है। साक्षी के अनुसार उसके मकान से पीड़िता का बाड़ा नजर आता है। प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसका मकान पीड़िता के बाड़े के सामने है। वह मकान के अन्दर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। यह स्वीकार किया है कि मकान के अन्दर रहते हैं तब बाहर क्या हो रहा है पता नहीं चलता। यह स्वीकार किया है कि वह आज दुर्गालाल के साथ आया है लेकिन उसे बचाने के लिए झूठे बयान देने से इन्कार किया है। साक्षी का कथन है कि दुर्गालाल उसका कुछ नहीं लगता।

14. **प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक 2 प्रेमबिहारी** की साक्ष्य है कि वह दिनांक 07.11.2020 को थाना कामखेड़ा में थानाधिकारी के पद पर था। उस दिन उसने एसपी कार्यालय से प्राप्त इस्तगासे पर मुकदमा सं. 174/20 धारा 376 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया था। अनुसंधान में उसने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया। गवाह रमेशचंद, घांसीलाल, कमलेश, हजारीलाल, रामकल्याण, बापूलाल, बरदीचंद व रामकन्या बाई के बयान उनके कहे अनुसार लिखे थे। पीड़िता का बलात्संग संबंधी मेडिकल करवाया और धारा 164 दप्रसं के बयान करवाए। पीड़िता की अण्डरवियर जप्त की। अनुसंधान से उसने मामला झूठा पाया था। रेवड़ी के विवाद को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। रामकन्या बाई ने दिनांक 31.10.2020 को एक रिपोर्ट दी थी जिसकी फोटोप्रति शामिल पत्रावली है। अतिक्रमण हटाये जाने के समाचार पत्र की प्रति शामिल की थी। प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसने एफएसएल जांच के लिए सेम्पल नहीं भेजे। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अभियुक्तगण से मिलकर मुकदमे को झूठा मानते हुए एफआर पेश की हो।

साक्ष्य की विवेचना-

15. प्रकरण में घटना की एकमात्र साक्षी स्वयं पीड़िता है जिसने इस घटना की रिपोर्ट दिनांक 02.11.2020 को पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अभिकथन किया है कि दुर्गालाल आकर एकदम उसके ऊपर पड़ गया और चिल्लाने की कोशिश की तो उसका हाथ मुंह से बन्द कर दिया। खोटा काम करने के बाद उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो तुझे व तेरे पति को जान से मरवा दूंगा। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्त ने उसका मुंह दबाकर गलत काम किया और जाते समय उसे व उसके पति को मार देने की धमकी दी। प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा बलात्कार करते समय मुंह कपड़े से बन्द करना बताया है। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष बयान देने से पूर्व पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दो बार सशपथ बयान लेखबद्ध किये हैं। पत्रावली में संलग्न बयान धारा 164 दप्रसं में पीड़िता का कथन है कि उसका मुंह कपड़े से बन्द कर दिया था और जाते समय अभियुक्त ने उसे व उसके

पति को मारने की धमकी दी थी। धारा 200 दप्रसं के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा कपड़े से अथवा हाथ से मुंह बन्द करने के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है और अभियुक्त द्वारा चिल्लाने पर स्वयं पीड़िता को जान से मारने की धमकी देना अंकित किया है। साथ ही यह भी कथन किया है कि उसके मकान के पास गुलाबचंद, श्रीलाल, तेजमल रहते हैं जिन्हें घटना के बारे में सुबह बताया था। जबकि न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है एवं पीड़िता के पति ने आस-पास के लोगों को घटना के बारे में बताये जाने की बात से इन्कार किया है। पीड़िता की साक्ष्य के अनुसार कृष्णा और कल्याणी ने अभियुक्त दुर्गालाल को भागते हुए देखा था जबकि उक्त साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित नहीं किया गया है और न ही अनुसंधान में उनकी उपस्थिति पाई गई है। इस प्रकार पीड़िता की साक्ष्य में विरोधाभासी कथन हैं और घटना के बारे में वह स्वयं इकलौती साक्षी है। ऐसी स्थिति में पीड़िता की साक्ष्य पर अधिक सतर्कता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

16. घटना की परिस्थितियों तथा सम्पुष्टि के बारे में भी साक्ष्य पर विचार किया जाये तो पीड़िता के कथनानुसार घटना रात्री नो बजे की थी और जिस बाड़े में घटना कारित की गई वह खुला स्थान था। पीड़िता व उसके पति ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि घटना स्थल बाड़ा के पास रमेश, श्रीलाल, घांसीलाल, बनवारी व गुलाबचंद के मकान बने हुए हैं और बाड़ा आम सड़क के पास स्थित है, सड़क से पूरा बाड़ा और बाड़े में रखी हुई खाट नजर आती है। इस संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना स्थल बाड़ा को एक खुले स्थान के रूप में दर्शाया गया है जिसके 10 कदम दूरी पर श्रीलाल का मकान, 23 कदम पर आम रास्ता तथा रास्ते के दूसरी ओर घांसीलाल और रमेशचंद के मकान एवं 35 कदम की दूरी पर कंवरलाल का मकान है। इस प्रकार घटना देर रात्रि की न होकर नो बजे की है और घटना स्थल ऐसा स्थान है जो आसानी से किसी के द्वारा भी देखा जा सकता है। जिसके आस-पास अनेक रिहायशी मकान हैं।

17. पीड़िता के कथनों की सम्पुष्टि के लिए उसके पति को साक्ष्य में पेश किया गया है जिसके संबंध में यह बताया गया है कि वह सुबह चार-पांच बजे लौटा तब पीड़िता ने उसे घटना के बारे में बताया था। न्यायालय के समक्ष पीड़िता की साक्ष्य है कि सुबह चार बजे उसका पति घर आया तो उसने सारी बात बताई थी और प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसका पति सुबह चार बजे बाड़े में आया था तब वहीं उसे घटना के बारे में बता दिया था। लेकिन आगे कथन किया है कि उसने अपने पति को घटना के बारे में पहली बार घर पर बताया था।

18. चिकित्सीय साक्ष्य में पीड़िता के शरीर या जननांग पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं और चिकित्सक ने स्वीकार किया है कि

सामान्यतः किसी महिला के साथ जोर जबरदस्ती की जाए तो पीठ या जननांग पर खरोंच या चोट आना सम्भव है। पीड़िता का कथन है कि उसके गाल या होंठ पर निशान हो गए थे व होंठ का निशान वर्तमान समय तक मौजूद होना बताया है जबकि चिकित्सक ने पीड़िता के गाल या होंठ पर कोई चोट का निशान मौजूद होने से इन्कार किया है। पीड़िता के पति का कथन है कि उसकी पत्नी के गाल या गले पर कोई चोट आई हो तो उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से अपराध कारित किये जाने के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जाना सम्भव नहीं है।

19. प्रकरण में बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकु झूठ प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान का निष्कर्ष है कि स्वतंत्र साक्षियों ने अपने बयान धारा 161 दप्रसं में बलात्कार की बात को गलत बताया है। गवाह घांसीलाल व रमेशचंद का मकान घटना स्थल बाड़ा के एकदम सामने है और दोनों गवाह रात्रि साढ़े आठ बजे से दस बजे तक अपने मकान के बाहर टहल रहे थे। किसी भी साक्षी ने पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना देखना या सुनना नहीं बताया है। इस संबंध में स्वयं पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिए गए बयान धारा 200 दप्रसं में कथन किया है कि **उसके मकान के पास गुलाबचंद, श्रीलाल, तेजमल रहते हैं जिन्हें घटना के बारे में सुबह बताया था।** जबकि न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से इन साक्षियों को घटना की पुष्टि के लिए पेश नहीं किया गया है अपितु अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्षी रमेशचंद को परीक्षित करवाया गया है जिसने कथन किया है कि उसका मकान पीड़िता के बाड़ा के ठीक सामने है और वह रात्रि में दस-ग्यारह बजे तक अपने भाई घांसीलाल के साथ घर के बाहर घूम रहा था। उसने पीड़िता के साथ दुर्गालाल द्वारा कोई घटना कारित करने की बात देखी या सुनी नहीं थी। इस प्रकार रिहायशी मकानों के बीच स्थित खुले स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा आकस्मिक रूप से बाड़े में आकर दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना संदेहजनक प्रतीत होता है।

20. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत (2024) 2 CriLR 714 Hafiz khan vs State of Rajasthan के मामले में साक्ष्य में विरोधाभास तथा पीड़िता के शरीर पर कोई चोट न होने एवं घटना स्थल आबादी क्षेत्र में अवस्थित होने के तथ्य थे। पक्षकारों के बीच भूमि के विवाद के कारण मिथ्या आलिप्त किये जाने की सम्भावना पाई गई। अभियुक्त को अपराध धारा 376 भा.द.सं. में दोषमुक्त किया गया था। अन्य न्यायिक दृष्टांत (2020) AIR (SC) 985 Santosh prasad @ Santosh kumar vs State of Bihar के मामले में अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि पीड़िता की एकल साक्ष्य पर आधारित थी। चिकित्सीय साक्ष्य से घटना की पुष्टि नहीं हुई। पक्षकारों के बीच वैमनस्यता और भूमि का विवाद होना

स्वीकृत था। पीड़िता की साक्ष्य में अनेक विरोधाभास और विसंगतियां पाई गई। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

21. प्रकरण में अभियुक्त का अभिवाक् है कि वह पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उसके भाई परमानंद के मकान के बाहर पीड़िता व उसके पति द्वारा कचरा/रेवड़ी डाली जा रही थी जिसकी शिकायत परमानंद द्वारा पंचायत व एसडीएम मनोहरथाना को की गई थी। इस विवाद में पीड़िता के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तथा प्रशासन द्वारा परिवादी पक्ष की रेवड़ी को मौके से हटा दिया गया था। इस संबंध में पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में पहले तो कथन किया है कि वह दुर्गालाल के भाई परमानंद को नहीं जानती और उसके बाद आगे यह स्वीकार किया है कि परमानंद ने उसके बाड़े के बाहर हमारे द्वारा रेवड़ी डालने की शिकायत की थी जिस पर एसडीएम ने उसके पति को पाबन्द किया था। पीड़िता के अनुसार बीडीओ ने परमानंद के घर के बाहर से रेवड़ी हटवाई थी। उसने देखा नहीं पर सुना था कि बीडीओ ने वहां से रेवड़ी हटवा दी है। पीड़िता के पति का ने स्वीकार किया है कि उसके व परमानंद के बीच रेवड़ी डालने की बात का थोड़ा बहुत विवाद हुआ था और परमानंद ने रास्ता में रेवड़ी डालने की एसडीएम को शिकायत की थी। इस शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसे एसडीएम के यहां पेश किया था तथा उसे पाबन्द किया था।

22. इसी क्रम में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक 2 प्रेमबिहारी का कथन है कि उसने अपने अनुसंधान में रेवड़ी के विवाद के कारण झूठा मुकदमा दर्ज करवाए जाने के तथ्य पाये थे। इस संबंध में पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट की नकल भी पत्रावली में सम्मिलित करना बताया है। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 02.11.2020 को थाना कामखेड़ा में पीड़िता द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित रिपोर्ट संलग्न है जिसमें उसकी रेवड़ी पर मिट्टी डालने के बारे में परमानंद व जमनी बाई के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है। यह रिपोर्ट दिनांक 02.11.2020 को थाना में प्राप्त होना अंकित है। जबकि दिनांक 02.11.2020 को ही पीड़िता द्वारा हस्तगत प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को पेश की गई है जिससे यह दर्शित होता है कि घटना से सुसंगत समय में पक्षकारों के मध्य विवाद को दर्शाता है।

23. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विस्तृत अनुसंधान किया जाकर मामले में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकु झूठ प्रस्तुत किया गया था और धारा 200 दप्रसं के अन्तर्गत केवल पीड़िता की साक्ष्य लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 457, 376 भा.द.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया है। न्यायालय के समक्ष पीड़िता की साक्ष्य में विरोधाभासी और अस्वाभाविक तथ्य प्रकट हुए हैं। उसकी साक्ष्य की सम्पुष्टि नहीं हुई है। इसके विपरीत घटना स्थल के पास निवास करने

वाले रमेशचंद ने साक्ष्य में उपस्थित होकर पीड़िता के आरोपों का खण्डन किया है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी साक्षी प्रेमबिहारी ने न्यायालय में उपस्थित होकर पीड़िता के आरोप अनुसंधान से मिथ्या पाए जाने का सशपथ कथन किया है। चिकित्सीय साक्ष्य से बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। घटना की परिस्थितियां अस्वाभाविक और संदेहजनक पाई गई हैं। अभियुक्त के भाई के साथ पीड़िता व उसके पति का घटना की अवधि से सुसंगत समय में अतिक्रमण हटाने की बात का विवाद होना और उस विवाद में परमानंद की शिकायत पर पीड़िता के पति की गिरफ्तारी का तथ्य प्रकट हुआ है। जो प्रकरण में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करता है। एेसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होना पाया जाता है। इसलिए अभियुक्त दुर्गालाल आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

24. परिणामतः अभियुक्त **दुर्गालाल** पुत्र बलराम, निवासी गोग्याबेह उर्फ किशनपुरिया, पुलिस थाना कामखेड़ा, जिला झालावाड़ (राज.) को अपराध धारा **457, 376 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा माल अण्डरवियर बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दी जावे।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

26. यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया व खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

संलग्नः- परिशिष्ट **'क'**

अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची -

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
साक्षी क्रमांक 01 ममता	फर्द जप्ती अण्डरवियर
साक्षी क्रमांक 02 पीड़िता	स्वयं के साथ घटना होना
साक्षी क्रमांक 03 बरदीचन्द	नक्शा मौका व फर्द जप्ती
साक्षी क्रमांक 04 डॉ. सत्येन्द्र सिंह	पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना करना

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात की सूची-

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेज का विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श पी 1	फर्द जप्ती अण्डरवियर	साक्षी क्रमांक 1, 2, 3
प्रदर्श पी 2	परिवाद	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 2, 3
प्रदर्श पी 4	पीड़िता के बयान धारा 164 दप्रसं	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी 5	पीड़िता की मेडिकल मुआयना रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 4
प्रदर्श पी 6	चाक एफआईआर	डी.ड. 2

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

संलग्नः- परिशिष्ट **'ख'**

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य- -

प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
साक्षी क्रमांक 01 रमेशचंद	अभियोजन कथा के विपरीत बयान देना
साक्षी क्रमांक 02 प्रेमबिहारी	अनुसंधान अधिकारी

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आर्टिकल की सूची -

आर्टिकल संख्या	**आर्टिकल का नाम**
01	पीड़िता के बयानों की सीडी

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY
Steno Gr. I
''Authenticate Document''
Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY
Date: 2026.03.28 11:47:35 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।